

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/21-22/06

दिनांक: 12.10.2021

 सेवा में,
 श्री गुलज़ार अहमद
 पुत्र नियमातुल्ला
 पोस्ट-जियावन, तहसील-देवसर
 जिला-सिंगरौली (म०प्र०)
 मो० 8085343591

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, आपके पत्र दिनांक 02.08.2021 के संबंध में

महोदय,

आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, भेजा गया पत्र दिनांक 02.08.2021 क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को शक्तिनगर के माध्यम पर दिनांक 15.09.2021 को भेजा गया था | मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी			
ग्राम-जियावन स्थित आराजी खसरा क्र० 804/14 पर 400 के०वी० एस०/सी० सिंगरौली-इलाहाबाद लाइन पारिषण लाइन (III) में प्रभावित भूमि एवं वृक्ष की जानकारी तथा मुआवज़ा भुगतान से सम्बन्धित समस्त जानकारी	खसरा क्र० 804/14 पर 400 के०वी० एस०/सी० सिंगरौली-इलाहाबाद लाइन पारिषण लाइन (III) में निम्न भुगतान किये गए हैं -			
	खसरा क्र०	विवरण	कुल राशि (रु०)	टिप्पणी
	804/14	प्रभावित वृक्ष का मुआवज़ा	7,000.00/-	भुगतान किया जा चुका है।
	804/14 एवं 803/6/3		18,150.00/-	
	804/14		4,950.00/-	
804/14	प्रभावित भूमि का मुआवज़ा	95,920.00/-	भुगतान किया जा चुका है। (UTR सं० N284211670663450 दिनांक 11.10.21)	
कुल भुगतान की गई धनराशि (रु०)		1,26,020/-		

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

 श्री आर० नागपाल
 कार्यपालक निदेशक,
 पावरग्रिड उ०क्षे० - 3
 12 राणा प्रताप मार्ग,
 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ - 226001

भवदीय,



[राणा प्रताप]

महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)

 पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,
 पावरग्रिड, लखनऊ